केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
18, Institutional Area, Saheed Jeet Singh Marg,
नई दिल्ली/New Delhi-**110016**
फोन न./Phone no. 26858570, **फैक्स**/FAX 26524580
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/Email: kvshindisection@gmail.com

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा.सं0 11025/29/2011-केविसं(मु)/हि0/1240-1271 दिनांक : 13 जुलाई, 2016

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय

विषय: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता ग्रहण करने और उनकी बैठकों में नियमित रूप से भाग लेने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर उल्लेख है कि भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से देश भर के विभिन्न शहरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है और संबंधित नगर में केन्द्रीय सरकार का जो वरिष्ठतम अधिकारी होता है वही सामान्यत: इस समिति का अध्यक्ष होता है और उस शहर के सभी केन्द्रीय सरकार के कार्यालय इत्यादि इस समिति के सदस्य होते हैं तथा इस समिति की वर्ष में 02 बैठकें आयोजित होती है। इन बैठकों में प्रत्येक सदस्य कार्यालय प्रमुख द्वारा भाग लेना अपेक्षित रहता है। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग न लेने अथवा इन समितियों की सदस्यता ग्रहण न करने जैसे मामलों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है।

02. अत: केविसं के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के उपायुक्तों से पुन: अनुरोध है कि आप **अपने शहर की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता ग्रहण कर लें यदि अभी तक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य नहीं बने है**। साथ ही इनकी सभी बैठकों में स्वयं भाग लें जो कि वर्ष में 02 बार आयोजित होती हैं।

03. यह भी अनुरोध है कि इसी प्रकार के निर्देश अपने अधीनस्थ सभी केन्द्रीय विद्यालयों को भी निर्गत करें कि वे भी अपने नगर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता ग्रहण करें और इनकी बैठकों में नियमित रूप से भाग लेकर राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य को गति दें।

भवदीय

(जी. के. श्रीवास्तव)
अपर आयुक्त (प्रशासन)

प्रतिलिपि:- 1. निदेशक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के समस्त आंचलिक संस्थानों (ग्वालियर, चंडीगढ़, मैसूर, मुंबई और भुवनेश्वर) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. उपनिदेशक (रा. भा.), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस पत्र की एक प्रति सचिव, संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय, नई दिल्ली को अग्रेषित करने की कृपा करें।
3. प्रभारी, ईडीपी प्रकोष्ठ, केविसं (मु०) को इस आशय से कि वे इस पत्र को केविसं (मु०) की वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. गार्ड फ़ाइल।

अपर आयुक्त (प्रशासन)

नवीन